

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – चन्द प्रकाश वर्मा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 29/22

कैलाशी पत्नि प्रभू लाल जाति मीना उम्र 54 वर्ष निवासी मलारना चौंड तहसील
मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

.....प्रार्थी,

तहसीलदार (लैण्ड होल्डर)तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर ।

.....अप्रार्थी,


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज.काश्त. अधि.

उपस्थित :- श्री बत्तीलाल मीना एडवोकेड प्रार्थीया की और से

दिनांक 24/12/24



प्रार्थी की ओ से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया की ग्राम मलारना चौंड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर की निवासी है जो खेती बाडी करके अपना जीवन यापन करती आ रही हैं । प्रार्थीया की ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का जस्टाना तहसील बौली के खाता संख्या नया 71 में ख0नं0 699 रकबा 0.3100 है0 नहरी, ख0नं0 700 रकबा 1.3000 है0 नहरी, ख0नं0 708/988 रकबा 0.1600 है. स्थित है। जिसमें प्रार्थी काश्त करती आ रही हैं । प्रार्थीया उक्त खातेदारी भूमि ख0नं0 699 ,700, 708/988 वाके शाहपुरा में ख0नं0 714 डामरीकरण रोड मेगा हाईवे के पास ख0नं0 708 सिवायचक नहरी रकबा 0.3100 है0 में होकर प्रार्थीया अपने खेतों पर जुताई एवं काश्त करने के लिए सिवायचक में होकर निकलती आ रही है और मौके पर रास्ता कच्चा बना हुआ है। प्रार्थीया को ख0नं0 708 सिवायचक में लगभग 120 फिट लम्बाई एवं 30 फिट चौड़ाई जो नजरी नक्शा परिशिष्टि-क में लाल रंग से दिखाया गया स्थान में गै0मु0 रास्ता


उप जिला कलेक्टर
बौली, जिला-सवाई माधोपुर




दिया जावे। और राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में गै0मु0 रास्ता अंकन किया जावे। प्रार्थीया उक्त भूमि का नियमानुसार प्रतिकर अदा करने को सहमत हैं। अतः राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाने के आदेश फरमायें जावें।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा तहसीलदार बौली से उक्त सम्बन्ध में विन्दुवार रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बौली द्वारा अपने पत्रांक / भू.अ./2023/489 दिनांक 06.02.2023 प्राप्त रिपोर्ट में कोई आपत्ती नहीं जताई गई।

बहस सुनी गयी। प्रकरण में तहसीलदार बौली से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। प्रार्थीया का कथन है कि मेरे को अपनी खातेदारी की आराजीयात मुतनाजा पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 708 सिवायचक में से निकलकर आती जाती हैं। प्रार्थीया उक्त खातेदारी भूमि ख0नं0 699, 700, 708/988 वाके शाहपुरा में ख0नं0 714 डामरीकरण रोड मेगा हाईवे के पास ख0नं0 708 सिवायचक नहरी रकबा 0.3100 है0 में होकर प्रार्थीया अपने खेतों पर जुताई एवं काश्त करने के लिए सिवायचक में होकर निकलती आ रही है

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय आर आर डी 2017 पेज 515 प्रीतम सिंह बनाम मेन पाल में आदेश प्रतिपादित किया है कि रास्तों अत्यन्त आवश्यकता हैं केवल सुविधाजनक स्थिति के लिए नहीं, वैकल्पिक साधन का अभाव हो तो उक्त नियम के तहत उपखण्ड अधिकारी को किसी भी खातेदार की भूमि में से रास्ता उपलब्ध करवाना उचित है।

मौजूदा प्रकरण में भी तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार और कोई विकल्प प्रार्थीया को अपने खेत पर आने जाने हेतु उपलब्ध नहीं है। तथा यही एक मात्र लघुत्तम रास्ता है। ऐसी सूरत में हमारे विनम्र अभिमत में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार




उप जिला कलेक्टर
बौली, जिला-सावाई माधोपुर



दिया जावे। और राजस्व रिकार्ड जमावन्दी व नक्शा ट्रेस में गै0गु0 रास्ता अंकन किया जावे। प्रार्थीया उक्त भूमि का नियमानुसार प्रतिकर अदा करने को सहमत हैं। अतः राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाने के आदेश फरमायें जावें।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा तहसीलदार बौली से उक्त सम्बन्ध में विन्दूवार रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बौली द्वारा अपने पत्रांक / भू.अ./2023/489 दिनांक 06.02.2023 प्राप्त रिपोर्ट में कोई आपत्ती नहीं जताई गई।

बहस सुनी गयी। प्रकरण में तहसीलदार बौली से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। प्रार्थीया का कथन है कि मेरे को अपनी खातेदारी की आराजीयात मुतनाजा पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 708 सिवायचक में से निकलकर आती जाती हैं। प्रार्थीया उक्त खातेदारी भूमि ख0नं0 699, 700, 708/988 वाके शाहपुरा में ख0नं0 714 डामरीकरण रोड मेगा हाईवे के पास ख0नं0 708 सिवायचक नहरी रकबा 0.3100 है0 में होकर प्रार्थीया अपने खेतों पर जुताई एवं काश्त करने के लिए सिवायचक में होकर निकलती आ रही है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय आर आर डी 2017 पेज 515 प्रीतम सिंह बनाम मेन पाल में आदेश प्रतिपादित किया है कि रास्तों अत्यन्त आवश्यकता हैं केवल सुविधाजनक स्थिति के लिए नहीं, वैकल्पिक साधन का अभाव हो तो उक्त नियम के तहत उपखण्ड अधिकारी को किसी भी खातेदार की भूमि में से रास्ता उपलब्ध करवाना उचित है।

मौजूदा प्रकरण में भी तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार और कोई विकल्प प्रार्थीया को अपने खेत पर आने जाने हेतु उपलब्ध नहीं है। तथा यही एक मात्र लघुत्तम रास्ता है। ऐसी सूरत में हमारे विनम्र अभिमत में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार




उप जिला कलेक्टर
बौली, जिला-सावाई, मध्य प्रदेश